

**No.HQ/PIO/RTI/242/13**

**Date: 29.10.2013**

**Sh. Shakti Singh Chauhan**

“Shakti Kunj”, Near Railway Line,  
Subash Nagar, Beawar Road,  
Ajmer-305001 (Rajasthan).

**Sub:** Information under RTI Act- 2005

**Ref:** Your application dt. 20.09.2013, received in this office on 11-10-2013

उपरोक्त के संबंध में संबंधित विभाग से प्राप्त पैरावाइज सूचना निम्नलिखित है:-

- 5 (i) कल्याणीपुरा बाईपास चैनल को रेलवे सीमा के समानान्तर शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है इसके लिये राशि चैक द्वारा सिंचाई विभाग को अदा कर दी गयी है।
- 5 (ii) ROB व RUB निर्माण हेतु मण्डल कार्यालय द्वारा प्रार्थना पत्र को संबंधित कलेक्टर महोदय को दिया गया है, तथा नियमानुसार संबंधित फाइल से अवलोकन कर व आवश्यक शुल्क जमा करके इसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 5 (iii) अवाप्त की गई भूमि अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग है।
- 5 (iv), (v) & (vii) RITES, SAPROF/JICA, DFCCIL व अन्य एजेन्सीज की रिपोर्ट के उपरान्त रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- 5 (vi) मुआवजा का निर्धारण रेलवे अधिनियम (संशोधित) 2008 के तहत किया गया है। इसकी प्रति CPM/Ajmer कार्यालय में उपलब्ध है। इसके लिये भू अवाप्ति अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- 5 (viii) संबंधित MOU / Minutes of Discussion, DFCCIL एवं Japan International Cooperation Agency (JICA) के मध्य, कॉरपोरेट मुख्यालय में फाईलों में विस्तृत रूप में उपलब्ध है। नियमानुसार किसी भी कार्यदिवस में, इस कार्यालय में इसका अवलोकन आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत आवश्यकनिर्धारित शुल्क जमा करने पर कर सकते हैं।
- 5 (ix) मुआवजा राशि अलग-अलग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कि गयी है, CPM/Ajmer कार्यालय की अलग-अलग फाईलों व रिकार्ड में उपलब्ध है जिसका अवलोकन व आवश्यक शुल्क जमा करके इसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 5 (x) CPM - DFCCIL को Pay Band-4 में Grade Pay Rs. 10,000/- व Basic Pay Rs.66,290/- के अनुसार वेतन दिया जाता है।


- 5 (xi) डीफसी द्वारा उत्तर पश्चिम मण्डल की अवाप्त की जाने वाली भूमि की सूचना फाईल का नियमानुसार अवलोकन कर व आवश्यक शुल्क जमा करके इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- 5 (xii) Detour Section में अलग-अलग जगह पर आवश्यकता अनुसार बैंक की उचाई अनुसार भूमि की चौड़ाई ली गई है। इससे संबंधित जानकारी के लिए नियमानुसार CPM/Ajmer कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में आकर अवलोकन कर व आवश्यक शुल्क जमा करके इसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

**Copy to:**

✓ CPM/Ajmer

GM/CO/WC

 20/12/13

  
DESPATCH  
20/12